International Journal of Multidisciplinary Research and Development
Online ISSN: 2349-4182 Print ISSN: 2349-5979
www.allsubjectjournal.com
Volume 3; Issue 1; January 2016; Page No. 429-431

रीवा जिले के ग्रामीण आर्थिक विकास में भारतीय स्टेट बैंक के प्रभाव का अध्ययन

संस्तुति पाण्डेय, डॉ0 सोमदत्त पाण्डेय

प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र, शा. शहीद केदारनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मऊगंज, जिला–रीवा, मध्य प्रदेश, भारत।

सारांश
रीवा जिला मध्य प्रदेश के उन जिलों में आता है जो विकास सूचकांकों के पैमाने में निम्न स्तर पर है। जिले में ग्रामीण जनसंख्या की अधिकता है। अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। जातिवाद एवं सामंतवाद के प्रभाव में यहाँ गरीबी की समस्या अपने गंभीर स्वरूप में विद्यमान है। वर्तमान शोध पत्र का प्रमुख उद्देश्य रीवा जिले के ग्रामीण आर्थिक विकास में भारतीय स्टेट बैंक के प्रभाव का अध्ययन कर उन्हें और प्रभावी बनाने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना है।

मूल शब्द: ग्रामीण आर्थिक विकास, भारतीय स्टेट बैंक, रीवा जिला मध्य प्रदेश।

प्रस्तावना
1970 के दशक से विश्वस्तर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए सतत प्रयास हुये हैं। यह वह समय था जब इस तथ्य को सघनता से महसूस किया गया कि विकास के साथ–साथ विवरणात्मक न्याय को भी ध्यान में रखाना चाहिए। वस्तुतः जब विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता उन्मूलन और असमानता जैसी समस्याओं का उन्मूलन करने में उद्योगतंत्रीय मार्ग निष्प्रभ हो चुके थे, तो ग्रामीण विकास को योजनाबद्ध तरीके से बढ़ावा देने की एक विचार शैली का प्रादुर्भाव हुआ जो अपने बहुआयामी दृष्टिकोण से कृषि और औद्योगिक विकास बढ़ाने के बुनियादी प्रयास के साथ–साथ शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ और रोजगार प्रदान करने के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता पर विशिष्ट ध्यान केन्द्रित करती है। विकासशील देशों की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में रहती है। जनसंख्या के इस वर्ग के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिये योजनाबद्ध तरीके से प्रयास करने की बलवती आवश्यकता के परिणामस्वरूप ही ग्रामीण विकास में रूचि बढ़ी है। इस बात को तीव्रता से महसूस किया गया है कि यदि निर्धनता उन्मूलन की कोई दीर्घकालीन कार्यनीति बनाई जाय तो उसका आधार यही होना चाहिये कि स्वयं विकास प्रक्रिया में ही उत्पादक रोजगार के अवसर बढ़ाये जायें। लेकिन यह भी देखा गया है कि विकास प्रक्रिया से अनेक जनसमुदाय वंचित रह जाते है। अतः गरीबी उन्मूलन के लिये कुछ ऐसे कार्यक्रम बनाने आवश्यक हो जाते हैं जिनसे गाँवों की निर्धन जनता के लिये आय का एक न्यूनतम स्तर प्राप्त किया जा सके।

ग्रामीण विकास का अर्थ लोगों को होने वाले आर्थिक लाभों के साथ–साथ समाज के सम्पूर्ण ढांचे में होने वाले अधिकाधिक परिवर्तन से लगाया जाता है। ग्रामीण लोगों के लिये आर्थिक विकास की बेहतर संभावनायें उसी स्थिति में हो सकती हैं जब ग्रामीण विकास प्रक्रिया में जनता की अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित की जाय एवं योजना का विकेन्द्रीकरण किया जाय। भूमिसुधारों को उत्तम ढंग से क्रियान्वित किया जाये तथा ऋण और निवेश की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की जाय। साथ ही सामाजिक विकास के लिये स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, ऊर्जा आपूर्ति, स्वच्छता, आवास आदि की स्थिति में सुधार और ग्राम जनों की मनोवृतियों में परिवर्तन भी समान रूप से आवश्यक है। ग्रामीण गरीबी प्रायः कम उत्पादकता, बेरोजगारी तथा अल्प रोजगार का फलन होती है। इसलिये गाँवों में उत्पादकता और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। संक्षेप में ग्रमीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब तक कम आय वाले लोगों की आय तथा जीवनस्तर में वृद्धि करके उनकी जीवन प्रक्रिया को आत्मपोषक बनाने की विधि को ग्रामीण विकास कहते है। अनिश्चिता तथा इन उपेक्षाओं के कारण उत्पन्न हुई असमानताएँ ग्राम विकास संबंधी विषयों में रूचि जागृत करने में सहायक हुई। विभिन्न प्रकार की उत्साही एवं महत्वाकांक्षी योजनाएँ आरम्भ की गईं, लेकिन इनमें प्राप्त लाभ कुछ लोगों तक ही सीमित रह गये तथा जरूरत मन्द लोगों की दशा में कोई परिवर्तन करने में असमर्थ रहे।

अध्ययन क्षेत्र
मध्यप्रदेश के पूर्वोत्तर में स्थित रीवा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 6,28,745 हैक्टेयर है। प्रशासनिक दृष्टि से जिले को 07 तहसीलों एवं 9 विकासखण्डों में बांटा गया है। इसकी सात तहसीलें–हुजूर, त्यौंथर, सिरमौर, मऊगंज, हनुमना, गुढ़ एवं रायपुर (कर्चुलियान) हैं। जिले का अधिकांश भाग पहाड़ी एवं पठारी है। कृषि उत्पादन की दृष्टि से त्यौंथर तहसील अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ है। जिले में दक्षिण–पश्चिम मानसून हवाओं से वर्षा होती है। यहाँ वर्षा का वार्षिक औसत 1,270 मि.मी. है। रीवा जिला 85,289 हेक्टेयर में वनाच्छादित है जो इसके कुल क्षेत्रफल का 13.56 प्रतिशत है। तेंदूपत्ता, आंवला, महुआ यहाँ की प्रमुख वनोपज है। खनिज संसाधनों की दृष्टि से रीवा जिला सामान्य है। यहाँ मुख्यतः चूना पत्थर, बाक्साइड, मुरम, रेत, फर्शी पत्थर आदि प्राप्त होते हैं। उद्योगों में यहाँ मुख्य रूप से सीमेन्ट उद्योग ही विकसित हुआ है। जल संसाधन की दृष्टि से रीवा जिला समृद्ध है। यहाँ वास्तविक भू–जल उपलब्धता 499 मिलियन क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष है। भूमिगत जल विकास का स्तर जिले में 23.99 है। जो राज्य के औसत (16.49) की तुलना में ज्यादा है। रीवा जिले की प्रमुख नदियाँ टमस, बीहर, बिछिया, ओड्डा, महाना एवं बेलन आदि हैं।

अध्ययन विधि
शोध अध्ययन की प्रकृति मूलतः आनुभविक है। अतः अध्ययन के दौरान प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्रोतों के प्रयोग की पर्याप्त सम्भावना है। द्वितीयक स्रोतों में पुस्तकालय, पत्र–पत्रिकाएँ एवं सन्दर्भ ग्रन्थों से आँकड़े संकलित किए जायेगें, साथ ही विषय की आवश्यकता के अनुरूप प्राथमिक स्रोतों में साक्षात्कार, अनुसूची, अवलोकन एवं प्रश्नावली के द्वारा शोध कार्य की विश्वसनीयता बनाये रखने का यथा सम्भव प्रयास किया गया है। शोध कार्य के दौरान गवेषणात्मक अन्वेषणात्मक, विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक प्रविधियों के यथा सम्भव प्रयोग द्वारा आवश्यक तथ्य संकलन किया गया है। अध्ययन क्षेत्र में स्टेट बैंक की स्थिति एवं हितग्राहियों के साक्षात्कार द्वारा अध्ययन को

सारपूर्ण एवं अधिक विश्वसनीय बनाये जाने का प्रयास किया गया है। अध्ययन में संकल्पनात्मक पद्धति (Hypothetical Method) के माध्यम से प्राक्कल्पना तैयार कर उसके अनुसार अध्ययन विषय को विकसित करने का प्रयास किया गया है।

अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष

स्टेट बैंक द्वारा प्रदान किये गये ऋण, सामान्य वर्ग के कृषक ही लाभान्वित हुए हैं क्योंकि म.प्र. की जनसंख्या बहुल्य अनुसूचित जनजाति की है जिसमें अनु. जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के लोग कृषक मज़दूर एवं भूमिहीन है और वह अपने भरण–पोषण के कार्य में लगे रहते हैं। जो हैं भी वह किसान, सरकार द्वारा प्रदान किये गये सब्सिडी पर विचार करते रहे हैं तथा कृषि ऋण से संबंधित अज्ञानता एवं अशिक्षित होने के काण प्राप्त लाभों से वंचित रह जाते हैं। यहां प्रत्येक गांव को किसानों को देखा जाय तो सामान्य वर्ग के किसान एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कृषक लाभान्वित हए हैं। वर्ष 2007–08 केसीसी 609, फसली ऋण 405, ट्रैक्टर ऋण 71, खाद्य बीज ऋण 1001, कृषि संबंधित यंत्र 90, अन्य ऋण एवं किसान होम लोन 50, वर्ष 2008–09 में 701, 416, 80, 1020, 100, 60 तथा वर्ष 2009–10 में 705, 420, 85, 1200, 101, 57। वर्ष 2010–11 में 800, 510, 88, 1201, 123, 62। वर्ष 2011–12 में 809, 516, 90, 1250, 127, 68 ऋण भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रदान किया गया है। तहसील मऊगंज के अन्तर्गत ग्रामों के सर्वेक्षण दौरान यह देखा गया है कि किसान द्वारा कुछ गांव में उन्नतशील खाद्य बीज का प्रयोग कर रहे हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के किसान अल्पकालीन ऋण से लाभान्वित हो रहे हैं। गरीब किसान, मज़दूर ऋण के बोझ में फँसना नहीं चाहते हैं। इसलिए दीर्घकालीन ऋण कम लेते हैं।

रीवा जिले के किसान ज़्यादातर मोटे अनाज की खेती करते हैं अधिकांश कृषक अशिक्षित हैं तथा वह बैंक द्वारा प्रदत्त कृषि ऋण के उलझन में पड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि वह ऋण के कार्य को झंझट समझते है और वह अपनी पुरानी पद्धति का ही प्रयोग करते हैं, किन्तु कई गांवों के किसानों से जानकारी प्राप्त होती है कि जिले में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रदान किये गये ऋण के प्रति किसानों का रूझान बढ़ रहा है और अधुनिक यन्त्रों का प्रयोग दिनो–दिन बढ़ता जा रहा है।

सुझाव

भारतीय स्टेट बैंक अपने ग्राहकों या किसानों को कृषि ऋण के वसूली के लिए लम्बी अवधि का प्रावधान किया है। जिसके कारण किसान अपने बैंक ऋण किस्त का भुगतान करने में विलम्ब करते हैं तो बैंक ऋण की अवधि को कम किया जाना चाहिए, तथा ग्रामीण गरीब कृषक समयाभाव में अधिक से अधिक कार्य करने में सक्षम हो जायें तथा जो विभिन्न प्रकार के कृषकों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसका विभिन्न प्रकार के कालावधि को घटाकर समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ट्रैक्टर के लिए ऋण हेतु जो किसान के लिए निश्चित सीमा या सिंचित भूमि के अन्तर्गत ऋणों का निर्धारण किया गया है। उसको कम किया जाय तथा छोटे एवं लघु कृषक भी इस योजना का लाभ ले सकें तथा अपने उत्पादन को या लाभ को अधिकतम करके अपने ऋण के किस्तों का भुगतान कर सकें। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कृषकों को ट्रैक्टर के सम्बन्ध में जो ऋण दिये जाते हैं। तो उस पर किसानों के लिए ब्याज रिज़र्व बैंक के अनुसार दिया जाता है तथा बैंक इच्छानुसार ब्याज की दर निर्धारित करता है तथा किसानों के ऋणों के लिए ब्याज की वसूली करता है। तो इस संबंध में यह सुझाव दिया जाता है कि ब्याज दर निर्धारित करते समय किसानों की संगोष्ठी का आयोजन किया जाना चाहिए तथा किसानों के विचार सम्मत से ही ब्याज दर का निर्धारण किया जाना चाहिए।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कृषि ऋण किसानों को दिया जाता है तथा ब्याज दर घटने–बढ़ने की समस्या होती है तो निश्चित ब्याज दर होनी चाहिए ताकि किसानों को भविष्य में ब्याज संबंधी समस्या का सामना न करना पड़े।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रदन्त कृषि ऋण के लिए ग्रामीण कृषक गरीब अशिक्षित को उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है तथा अधिकांश भूमि स्वामी अशिक्षित होते हैं। बैंकिंग सम्बन्धी बातों को समझने में समस्या होती है तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था हो जाने से बैंक के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा किसानों को जो ऋण ट्रैक्टर हेतु 25 प्रतिशत राशि बैंक द्वारा देय होती है तथा 75 प्रतिशत राशि बैंक द्वारा देय नहीं होती है तथा गरीब कृषक एवं लघु सीमान्त कृषक के लिए कम होती है तथा इसके सम्बन्ध में यह सुझाव दिया जाता है कि मार्जिन की राशि जो बैंक द्वारा देय राशि है कुछ अधिक कर देना चाहिए।

किसानों के लिए ऋण भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नोटिस के सम्बन्ध में किसानों को एक निश्चित ब्याज तथा समयावधि में भरने के लिए सुझाव देना चाहिए। उसके सम्बन्ध में लाभ–हानि का विचार करने का अवसर दिया जाना चाहिए। तत्पश्चात् अगर किसान अपनी समस्याओं को प्रस्तुत करता है तब उसके सम्बन्ध में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा विचार किया जाना चाहिए। तत्पश्चात् नोटिस जारी करना चाहिए।

बैंक द्वारा जो किसानों को ट्रैक्टर हेतु ऋण दिया जाता है तथा बयाज का भुगतान किसानों द्वारा किया जाने में विलम्ब हो जाता है। जो अनेक प्रकार की न्यायालय में समस्या आती है। तथा आर्थिक क्षति किसानों की होती है। तो पहले से ही समझौता कर लेना चाहिए तथा न्यायालय सम्बन्धी छुटकारा पाया जा सकता है।

किसान क्रेडिट कार्ड धारक सम्बन्धी समस्या हेतु सुझाव

- प्रत्येक आहरण के समय पासबुक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- पासबुक में माह बार आहरण सीमा के साथ पुनर्भुगतान तालिका का उल्लेख है, खाते में उपलब्ध ऋण सीमा में ही आहरण की पात्रता होगी।
- ऋणी आहरण सीमा के अन्दर अपनी इच्छानुसार कितनी भी बार राशि जमा एवं आहरण कर सकता है।
- ऋणों को पुनर्भुगतान तालिका का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा क्योंकि पुनर्भुगतान न किये जाने की स्थिति में संबंधित माह में आहरण सीमा अपेक्षित पुनर्भुगतान के कारण अपने आप कम हो जायेगी।
- ऋणी को यह कार्ड–सह पास कुछ सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। खो जाने की स्थिति में समुचित पहचान एवं बैंकों की सन्तुष्टि के पश्चात् ही 50 रू. शुल्क लेकर दूसरी पासबुक जारी की जायेगी।

संदर्भ सूची

1. Agrawal A.N.-Indian Agriculture prblems progress and prospects, Vikash Publishing House, 1955.
2. Arakeri H.R.-Indian Agriculture Oxford, & IBH Publishing Co. New Delhi, 1982.
3. Arakeri R.G.-Intergreted Rural Deveclopments Chants Co. Ltd New Delhi.
4. Bansil P.C.-Agriculture Problems of India Vikash Publishing House Pvt. Ltd. New Delhi, 1977.
5. जिला सांख्यिका पुस्तिका रीवा वर्ष 2011.

6. सिन्हा वी.सी. जनांकिकी के सिद्धांत, नेशनल पब्लिसिंग हाउस नई दिल्ली 1988
7. राम आहूजा–सामाजिक अनुसंधान, रावत पब्लिकेशन 2010
8. जैन डॉ. वी.एन. रिसर्च मेथडोलाजी, कालेज बुक डिपो जयपुर 1996
9. डॉ. एस.एम. शुक्ला एवं डॉ. जे.पी. मिश्रा, परिमाणात्मक विधियाँ, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा वर्ष 2006
10. भारतीय अर्थव्यवस्था, प्रतियोगिता दर्पण 2013